

[Mr. Deputy Speaker]

I am forgetting everything. I cannot even use a sentence fully. I really do not know how we carry on discussion in the House. Now I think after being in the House for the last 10 years, I must start going to school again and start learning things again.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You can start a tutorial home for teaching parliamentary practice to the Ministers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They will not; but I can do my study privately and sit for the examination.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: We will come and worry you there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we resume discussion on the demand of the Ministry of Agriculture and Irrigation. Shri K. C. Pandey. He is not there. Shri Brij Raj Singh—Kotah.

12.40 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76
—Contd.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION—Contd.

SHRI BRIJ RAJ SINGH KOTAH (Jhalawar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is a matter of great satisfaction that the Government has at last realised to give top priority to agriculture and irrigation.

43 per cent of Indian land is arable, 9 per cent is irrigated and we plan a growth of 5.5 per cent. That is our aim. The sector of agriculture produces 45 per cent of the gross National Product. Therefore, this is a very important subject that needs discussion.

We are still dependent on the vagaries of weather. So, it is most essential to expand irrigation potential. That is one thing. Secondly, we

should make effective use of the present irrigation system. I have once previously also stated that we must explore alternative means of energy like solar energy and wind energy. I have not been to the exhibition which is out there. But I am told that there is a very useful device for heating water and other things by means of solar energy. This should be made available to most people of this country because we have a very fine climate with sun-shine for about 250 days in the year.

The other point is that we must have a lot of storages, cold storages and storages for foodgrains in the shape of silos.

Another point that I want to make is this. We import wheat when our reserve stock get depleted. The f.o.b. cost comes to about Rs. 130 per quintal. I suppose, the landed cost with freights included will be anything between Rs. 150 to Rs. 200 per quintal. Everything that the poor farmer of this country uses and needs for producing foodstuffs has gone up.

You are having now a system of procurement and of taking levy. We know how levy was taken last time. There were instances of police zulm and harassment by the authorities to the ordinary cultivator. The people who had not known anything about levy and who had sold their stocks earlier had to take recourse by force of circumstance to buying wheat from the open market at upto Rs. 200 a quintal to give the levy. Now, the procurement price has been put at Rs. 105.

I am told that the official statistics of Madhya Pradesh alone show that there is a 10 per cent decrease in the cultivation area of wheat. My estimate also is that definitely wheat acreage is less this year than what was last year. If this is the treatment to be given to our farmers, if this is the way price fixing is done, I do not see what is afoot for them? I believe,

the Government can at least fix the minimum price of procurement remuneratively and it should be Rs. 125 per quintal. When you import wheat from abroad which costs you Rs. 130 or Rs. 150 to even Rs. 200 a quintal, what is the rationale in not paying our own kith and kin Rs. 125 a quintal and make them happy and contented? I fail to see any reason for not doing so.

The Budget proposals have proposed a tax on livestock, dairy and poultry. I do not have anything to say about horse-raising or for the breeders who raise race horses. That is a different matter. But so far as the dairy and poultry industries are concerned, it is a fluctuating trade. The so-called white revolution in milk is yet to be seen in this country. Even the green revolution is confined to north western States of the country. It is not seen elsewhere. So, I plead and urge upon the Government that we must see that this diet of milk which is a complete diet, a nutritive diet, full of proteins, must be made more available to the people in this country. Instead of that, you are dampening it by this proposed taxation on dairy and poultry industries.

My other part of the speech will be confined to forests. Nobody seems to realise the great importance that forestry plays on this country's ecological balance. The statutory recommendations are that 33 per cent of the land area must be under forests; but in actual, it comes to 23 per cent and every year, we see with our own eyes that forests are continuously being cut mercilessly. The last example was when there was a flash flood somewhere in Kerala. The flood just came and washed away valuable land below. Something is happening in Rajasthan; something is happening to the Himalayan Valleys, the Kullu and Sutlej Valleys etc. There was a 'CHIPKO' movement in Almora. This creates the urgency for preserving our forests. Otherwise, we are going

to get into very serious trouble in times to come.

For this, I have a suggestion. It should be possible for the Government to look into this matter, and I suggest the following:

- (a) It will be very beneficial if we create a sort of a Conservation Crops which will employ the unemployed youth of the country, give them training for two or three weeks and put this task force under some energetic man who has vision.
- (b) The works to be implemented by this Corps should be the works of conservation—whether it is digging trenches, making paths, planting trees, cutting roads in forest areas, small check dams, etc., etc.

If we do this, it will solve a lot of un-employment, it will give the young people something useful to do, and it will help conserve forest and make them grow up where they are sadly lacking today.

I will say something about the way our Tiger projects and national parks are working. What I saw last time at one of the national parks, the Corbet National Park—which is one of the Project Tiger parks—is that between Garjia and Dhaukati, between the river and the road, a section of about 10×4 mile or 3/4 mile area, which is just adjacent to the National Park, was cleared by the Forest Department for replanting commercial trees like Eucalyptus etc. I don't see why very good Sal forests should be ploughed up for commercial trees like Eucalyptus. But be that as it may. What has happened is that the area which was ploughed up for replanting has been occupied by squatters who have come from the hills and are sitting there today and there is pressure

[Shri Brij Raj Singh Kotah]

on the U.P. Government to allot them this land which at present is under forests. They can be given some land in the area below known as the Tarai Bhabar area.

This is but one instance of what is happening in every forest area. First comes the encroachment and then comes the regularisation. I don't know where this policy is going to take us? If you want to allot land to people, make up your mind what you are going to keep and what you don't wish to be tampered with. I would say that in wild life sanctuaries and national parks, if these forestry operations and land encroachments are not stopped, you will never achieve anything in the shape of what you wish. Nature must grow unhampered. Secondly, the laws which exist now—the game laws and the Wild Life Protection Act—are very good as far as they go on paper, but there is no enforcement whatsoever. The writ of the Department does not run beyond its offices. People come and poach; the country people are doing all sorts of illicit things and, naturally, when the habitat is disturbed, you cannot expect tigers or other game animals to flourish. There are good parks like Ranthambore in Rajasthan and Bandipur and other places, but what about other places where there are no game parks and which are not under the Tiger Project? They are being seriously disturbed. We just heard the other day that whole herds of bison have been wiped out because of rinderpest caused by cattle that had been allowed to come and graze in the area.

Admirable progress in this regard has been made in the Gir forest sanctuary in Gujarat. There, vision has prevailed, and they have ejected the Maldharis living inside the area; and today we find that the lion population which was 167 two years ago has risen to 200. Even the Maldharis are happy that they have been taken

out and given land outside, and there is no disturbance of the ecological balance in that area.

If there are no wild bears or deers, which are their natural prey, what will the lions or tigers eat? When you disturb the natural set-up, what happens is that they perforce start eating the cattle; they have to eat something; they cannot eat grass; and once they start eating cattle, they become cattle-lifters; and then for the people who are ready to shoot, the pretext of their being declared a menace to the villagers comes in very handy!

Therefore, these ideas of keeping our forests intact, keeping the game parks undisturbed, not allowing any forestry operations inside these parks, and seeing that nature is left untampered with are very essential if we wish to keep whatever is left out today. It is a very short-sighted policy that first we allow the jungles to be destroyed and then wake up and say that we must replant and bring these back to their old pristine position. I trust that the hon. Minister who is in charge of this department will very seriously look into these matters and devise very effective rules and regulations to the existing Acts on wild life.

There is the Indian Board on Wild Life I was inducted in it last August. The Board had met after a gap of two years, and now since the August meeting, the next meeting is going to be held on 21st April—after more than six months. The Board meets after two years and nothing really effective is done. All that is done is merely on paper. I am also on the Rajasthan Wild Life Board, and as far as my memory serves me, I do not think we have met for the last two or three years—definitely not for the last two years. If this is the way these Boards are to function, how can effective control be made? I

urge, that these Boards must meet more frequently than they have been doing so far, and whatever they say must be implemented. The last thing that I would say is that, if you can amend the Constitution and bring the forests under the Central List, then there is a hope in India for preserving our valuable forests. If you do not do that, then all our pious words and acts will achieve nothing.

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich): Mr. Deputy-Speaker, Sir, Shri Jagjivan Ram is a lucky Minister, and whatever he touches, he adorns it. This year, after he has assumed charge of the Ministry of Agriculture and Irrigation, there have been winter rains and there have also been no strikes by the electricity engineers. Because of these two factors, there are prospects of a good rabi crop. But so far as the Ministry is concerned, I have my own doubts and reservations about its successful functioning. They have done nothing practically for bringing more area under irrigation. For the last four years, ever since I entered this Parliament, I have been crying hoarse, drawing the attention of the Ministry of Agriculture at the Centre and also in the State for boring tubewells in the district of Bahraich in Block Sarnea. The matter was treated like a shuttle-cock between the Central Government and the State Government—each throwing the responsibility for boring tubewells on the other. Then, by a question I got the matter clinched. The Minister of State in the Ministry of Agriculture, Shri Shahnawaz Khan, was good enough to answer to my question; he said that a number of heavy rigs belonging to the Central Government were available in U.P. But in spite of the availability of such heavy rigs, the drilling of tubewells has not been done in my district. I do not know, how much more time the Government would take to bore such tubewells. That area is very fertile and capable of raising bumper crops. But year after year, the green paddy

fields dry up in the month of September and the Government rushes and starts test works. I want to know, what this planning is. The surface water is not utilised, it inundates fields resulting in heavy damage. I want that the Ministry should concentrate on this point and find out how much money is spent yearly on meeting the drought-situation in a particular area and how much money is allocated for giving relief on account of the floods in certain turbulent rivers. If we take into account the recurring grants of money on account of floods and famines, we will find that if all this money is utilised for creating permanent remedies, perhaps these things would not occur.

Rapti and Ghagra are the two turbulent rivers in the eastern part of Uttar Pradesh. Nothing has been done to tame the floods of these two rivers. Jalkundi Dam scheme was conceived about 20 years ago. The feasibility report was submitted, but this has been put in cold storage. So is the case with Ghagra river. No project for containing its floods has been thought of upto now.

So far as the price of wheat is concerned, I shall be failing in my duty if I do not express the feelings of discontent among the peasantry, whether it belongs to the category of small cultivators or big cultivators. The levy price of Rs. 105 00 is quite inadequate, unremunerative and unrealistic. I want that the Minister should come with concrete facts and figures to convince this House that this is the cost which is incurred in raising the wheat crop per acre and per hectare and this is the profit which should be available to the cultivators after meeting the cost of raising the wheat crop.

The prices in the market would go down during the harvest season, as it always happens and the dealer in foodgrains would take advantage of that. He will say to the cultivator

[Shri B. R. Shukla]

that the Government itself has fixed the price at Rs 105.00, but he would give Rs. 15.00 more. After three-four months, when he has hoarded wheat in his stock, he will dictate the market and the consumer for which this scheme is being conceived. The consumer will not be in a better position than what he is at present. He will get wheat at Rs. 150 or Rs. 200 per quintal. The Government would be most reluctant to fix the maximum price at which the wheat should be sold by traders and retailers. I can concede, that if the consumer is going to get wheat at a cheaper and fixed rate, then certainly fix the price at Rs. 105.00 per quintal or even Rs. 100.00 per quintal.

Then, what is this Food Corporation of India? It is another addition to the class of white elephants. As one hon. Member has rightly said, upto now, we had white elephant in the form of Railway Board, now we have another white elephant, this Corporation. This is the biggest swindle, the biggest profiteer in the country. They procure wheat at Rs. 105 and sell it at Rs. 135 or Rs. 138 through fair-price shops. The difference is Rs. 30 per quintal. Where does this go. Still, this white elephant is not satisfied.

THE MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF AGRICULTURE
AND IRRIGATION (SHRI SHAH-
NAWAZ KHAN): It includes freight,
cost of the gunny bag and many other
things. They make no profits.

14 hrs.

SHRI B. R. SHUKLA: You please calculate itemwise and give us the break-up and take the House into confidence that this is very necessary—so much for handling charges and so much for storage, etc., and that this Rs. 35 or Rs. 30 is necessary for the FCI sharks.

Sir, there is also the menace of rats in this country. Nobody has touched this point. The rat population is growing by leaps and bounds. According to one article published in the Daily 'Pioneer' of Lucknow, the population of rats in this country is to the extent of 600 million and that six rats consume as much grain as is consumed by one human-being. That means that the rats in this country consume that much quantity of grains which could be available to 60 crores of people. I do not know whether to believe it or not. It is for the Ministry to find out whether the estimated figures are correct or not. But there is one thing. These rats have become very clever, not less clever than the human-beings. They have refused to take insecticide-mixed flour. The result is that the moment these things are spread before them, they go away. They get the scent and shy away. Therefore, they are multiplying as far as or even faster than the human-beings. So, the Agriculture Ministry has to take note of the menace posed by this fast-multiplying population of rats.

I would also draw the attention of the hon. Minister of Agriculture that in the district of Bahraich, a State Farm Corporation undertaking has been opened. The Uttar Pradesh Government has been good enough to grant a lease of 1200 acres for the purpose of starting a fishery farm and a seed multiplication farm. The area is situated in the vicinity of forests. The land is available. All my request is that there should be established a College of Agriculture and Forestry there. It would be just on the pattern of the Pant University at Nainital. The Government is not going to invest anything for the acquisition of land because the land belongs to the UP Government. The UP Government also would be very glad to have such an institution started there.

Therefore, my submission is after giving vent to my anguish and anger.

why is the Government not acceding to my repeated request for sending some heavy rigs for drilling tubewells in the Blocks of Sirsia and Jamnaha of my District? This is a very reasonable demand and I hope the hon. Minister will reconsider the matter and that he will simply not be guided by the notes prepared by his own Ministry.

Thank you, Mr. Deputy Speaker, for giving me an opportunity to put forth my point of view.

MR. DEPUTY-SPEAKER: And you have done very effectively.

Shri Tarun Gogoi—not here.

Shri M. C. Daga—also not here.

Shri Gomango.

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation. I am very happy that the Agriculture Ministry is the only Ministry which has done a lot for tribal development. Now I shall confine myself only to that problem because my friends have already expressed their views on the All-India question.

I am very happy to place before this House that the policy and programmes of the tribal development are the concern of the Ministry of Agriculture.

In the Fifth Five Year Plan Government will integrate all the tribal classes and plans and they will have integrated tribal development agencies. This is a new idea.

The work was taken up in good faith and with a good ambition, but the allocation of funds was so low as compared to too many plans that we could not achieve the results as we wanted to achieve.

We are happy that only the Ministry of Agriculture has done very good

thing for our tribals. In the Fourth Five Year Plan there were six pilot projects. Two are in my constituency. For the two projects I got Rs. 4 crores. No doubt, they sanctioned Rs. 2 crores for each of the projects, but they have not taken into consideration the number of blocks in each of the projects. In Kanta Project there are four blocks. In one project there are nine blocks and in the other there are 10 blocks. But each project will get only Rs. 2 crores. I submit before the Minister as well as before the Ministry that they may allocate more funds for the purpose.

Government of Orissa have not included the projects taken up by the Ministry of Agriculture in their IDTP scheme. They have done so because they say tribal projects are the responsibility of the Government of India and the tribal projects under Ministry of Agriculture are being financed by the Government of India. Sir, it is very unhealthy.

Allocation of money is made by the Centre or the State on the ground that it is a new project, and is covered under a special plan. Thus the Ministry in the Centre and the State Governments will earmark the money for the tribal blocks—the integrated projects blocks—by separate allocation I have the right to ask the Government of Orissa and the Government of India that there is a special allocation for the tribal areas under IDTP; then why should these projects be deprived of IDTP?

I would like to put before the House the problem of irrigation. How many areas are there under cultivation? This is the question. The sub-plan says that the major project will not be taken up in the sub-plan proposal. No tribal will be covered in the major project. In my constituency there are tribal population and it is a scheduled area. There is one major project which has not been included by the Government of Orissa for implementation in my district

[Shri Gridhar Gomango]

And, as I have already said, my district is a scheduled area which is having tribal population. This is having one percent of irrigation facilities. What I would request is that this project should be taken up immediately by the Central Government. I am happy that they have given it clearance. I do not know whether the Government of Orissa has earmarked any funds for this. According to the provisions of the sub-plan they cannot divert the funds. Why cannot the Ministry of Irrigation and Power earmark funds for sectoral allocation under irrigation and tribal welfare? Let there be at least some token allocation of at least one rupee in each year of the plan. Agriculture and Irrigation is the primary responsibility of the Central Government. This is necessary for the development of the country as a whole and for the development of the tribal people. So, I request him to consider my request. This project should get priority in the tribal sub-plan.

There is one other point which I wish to refer to and this is regarding the forest policy. Only 70 million hectares of forest area is there in our country. And the tribal population are deprived of the benefit of the forest policy. They are deprived of the utilisation of forests and due to land distribution and transfer of land etc from the tribals to the non-tribals these tribal people are put to lot of difficulties. There are certain legislations which have been enacted. What I would like to submit is that this matter has to be taken up with the State Governments by the Central Government. You, know, Sir, there is land hunger among the tribals of this country. What I suggest is that Government should come forward with immediate land reform measures. The Central Government should write to the State Governments drawing their attention to the immediate necessity of having land reforms. State Governments should be asked to legislate such land reforms

so that the tribal people and the landless people will get the land.

For future planning I would submit this. Agriculture and Irrigation should go side by side with the land reforms. Medium and minor irrigation are taken up only in the areas where there are irrigation facilities and where there are no irrigation facilities they are not taken up.

Lastly, I request the Minister to consider the points raised by me sympathetically. Coming to the diversion of money, I want to say that it should not be allowed any more. The programme of tribal development has not been implemented in a quicker manner. Moreover, the aim which was supposed to have been achieved has not been achieved at all so far as programmes of tribal development are concerned.

At the end, I repeat that Government should take note of this that the money that has been earmarked for development of agriculture should not be diverted to any other purpose.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Nar-singh Narain Pandey. He is not here. Shri Sukh Dev Prasad. He is now a Minister, I think, in Bihar.

SHRI NAWAL KISHORE SINHA (Muzaffarpur): He has been sworn in to-day.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not know whether that was a promotion or demotion.

SHRI NAWAL KISHORE SINHA: I think it is neither of the two.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it a bed of nails or a crown of thorns?

Shri Sadhu Ram.

श्री साधू राम (किल्लौर) : बिप्टी स्कीर साहब, मैं हम वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की बागों का समर्थन करने के लिए

बड़ा हुआ है। बात यह है कि इस वक्त एग्जीक्यूटिव के बारे में किसानों की बहुत सी तकलीफें हैं, जो शायद गवर्नमेंट के ध्यान में भी हों, लेकिन उनका हल नहीं हो रहा है। पंजाब में ग्रीन रेवेल्यूशन हुआ, लोगों ने बहुत मेहनत की और काफी जोर से अनाज की पैदावार करते हैं। हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेटों में अनाज की काफी पैदावार है। लेकिन फिर भी दूसरी स्टेटों में जाने के बाद हम यह पता चलता है कि अग्रिकल्चर जमीन ज़ा बाज़न में नहीं आती है, वह देश भर में बहुत काफी है। इसका मतलब यह हुआ कि लैंडलेस में जमीन तकमीम नहीं हुई। अगर यह जमीन लैंडलेस में तकमीम कर दी जाय तो मेरा ख्याल है कि देश का बहुत बड़ा ममला हल हो जायगा। मीलिंग का कानून लागू होने के बाद भी वह जमीन तकमीम नहीं हुई और लैंडलेस और गरीबों को वह जमीन नहीं मिल सकी। श्री बिनोबा भावे ने कहा था — गत अन्धेरी कटके रहेगी धन और धरती बंट के रहेगी। लेकिन न धन बंट और न धरती बंट। आजाद होने के बाद लोगों के अन्दर यह विश्वास था कि उन बातों पर अमल होगा, लेकिन उनमें बहुत कमियाँ हैं, यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और हम बात से इन्कार नहीं किया जा सकता।

हमारा देश एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है लेकिन धीरे धीरे मांगने है दूसरे देशों में, अनाज की हमारे पास कमी है। अनाज की कमी के कारण का समझना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। किसानों की पैदावार गन्धुम है—लेकिन गन्धुम का भाव 105 रुपये मुकर्रर किया गया है। अगर मही तौर पर देखा जाय—वह रात दिन खेतों पर मेहनत करता है, पैसा लगाता है, बुनिया के सारे कामों से यह मुश्किल काम है, सर्दी, गर्मी और बरसात में लगा रहता है, जो पैदावार करता है, उसकी कीमत सरकार निर्धारित

करती है, मेरी समझ में नहीं आता कि एग्जीक्यूटिव प्राइस कमीशन ने इतनी कम कीमत किम तरह से निर्धारित कर दी।

हम इस पर नुक्ताचीनी नहीं करते, इसलिये कि यह गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट में हम भी हिस्सेदार हैं, लेकिन मुझे अफसोस यह है कि वहाँ कोई मुनबाई नहीं होती। एग्जीक्यूटिव प्राइस कमीशन को इस बात का भी खयाल नहीं आया कि किसान किस तरह से गन्धुम को पैदा करता है, बिना मोचे समझे 105 रुपये भाव मुकर्रर कर दिया। 125 रुपये में कम तो किसान को किसी तरह से भी पटना नहीं आता है। किम न इस वकन बड़ा दुखी है। देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को हम जवाब नहीं दे पाते कि मेन्ट्रल गवर्नमेंट उनके भलाई के लिये कुछ उचित दास तय करेगी या नहीं। यज्ञ किमी के कान पर जू नहीं रेगनी। सभी माननीय सदस्य यहाँ कह रहे हैं कि गेहूँ का दाम 125 रुपये क्विंटल होना चाहिये लेकिन फिर भी सरकार इसको नहीं मानती।

गन्ने की मिनिमम कीमत आप ने साढ़े 8 रु० क्विंटल रखी है और लकड़ी का भाव 15 रु० क्विंटल है। यानी लकड़ी से भी मन्ना गन्ना है। मिल मालिकों को छूट दे रखी है कि चीनी बना कर 35 परसेंट ओपिन मार्केट में बेचे। लोगों को नुट ले। उस चीनी का भाव बाजार में कभी 7 रु० और कभी 8 रु० हो जाता है।

कृषि और मिर्चाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) : गन्ने की कीमत भी तो 14 50 रु० देने है।

श्री साधू राम : मैजलफि सूबो में म्यूक्तफि रेट है। लेकिन सरकार को कीमत निर्धारित करने के समय ध्यान देना चाहिये। जब और चीजों की कीमत निर्धारित करने में सरकार का कोई हिस्सा नहीं है, फिर किसान की पैदावार का दाम आ। क्यों

[श्री साधू राम]

मुकर्रर करते हैं ? दरमियान में जो मिल मालिक बैठे हुए हैं वह सारा का सारा मुनाफा खा जाते हैं। इस माईसाफ्री से तकलीफ होती है। क मामला क्या है ? सरकार का यह तरीका होना चाहिये कि सरकार अपनी लैबी भी ले, लेकिन किसान को भी कुछ मुनाफा बचना चाहिये। अगर किसान को एनकरेज-मेंट नहीं मिलेगा तो वह क्यों इन ज पैदा करने में मेहनत करेगा। मुनाफाखोरी और चोर बाजारी लोग धाराम से एयर कण्डीशण्ड कमरों में बैठ कर करते हैं, लेकिन मेहनती आदमी की कोई कद्र नहीं। उस की कीमत हर साल, हर चीज की, कम कर दी जाती है।

कभी सरकार ने सोचा कि खेती में काम आने वाले जो बिजली, खाद बगैरह हैं उन का क्या रेट है। बिजली का, पानी का क्या रेट है ? मैं पंजाब की बात बताता हूं कि पहले बिजली के मोटर की हास पावर के हिसाब से पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने दाम तय किया था। जहां पहले 10 हास पावर मोटर से जो सिचाई का पानी किसान को मिलता था और 100 रु० उस को देना पड़ता था आज उस का रेट 150 रु० हो गया है। फ्रिटिलाइजर की कीमत दुगुनी कर दी गई—52 रु० से 110 रु० तक ले गये। ट्रैक्टर की कीमत हर साल बढ़ जाती है 4, 5 हजार रु०। तो क्या इस से महसूस नहीं होता है कि सरकार की तरफ से मोनोपलिस्टो को पाला जा रहा है ? और उन की कीमत बढ़ाने में सरकार हिचकती नहीं है। लेकिन किसान द्वारा पैदा किये हुए माल की कीमत बढ़ाने में सरकार हिचकिचाहट करती है। यह बात सही है कि देश में कीमत बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाता है। आप सबसिबाइज कर के गरीब लोगों को अनाज दीजिये। एक हल और है कि सारे देश के अनाज का जो एस्टीमेट बनता है और अगर वह देश के लोगों के खाने के लिये कम है, बाहर से इम्पोर्ट करना है

तो पूरा अंदाजा क्यों नहीं लगाते कि इतना अनाज चाहिए। मिसाल के तौर पर कोयाम-रेटिंग स्टोर्स बना दीजिये जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में 22 लाख आदमी काम करते हैं वी रेलवे विभाग इतने लोगों के खाने पीने का सामान रेलवे स्टोर्स में दे, वही से उन को कपड़ा भी मिले और उस का पैसा लोगों की तन-कवाह से काट लिया जाय। इसी तरह से मिल मालिकों को आर्डर दिया जाय कि मिलों में जो काम करने वाले लेबर हैं उन का भी रेलवे कर्मचारियों की तरह कार्ड बन जाय और स्टोर में उन की सब चीजें मिल जायें। ऐसा करने से महंगाई का जो शोर मचता है, स्ट्राइक होती है वह कम से कम एक साल बन्द रहेगी। लेकिन प्लानिंग कर्मिशन ने कभी इस बात को नहीं सोचा। मेरे ब्याल से सरकार इस बात पर ध्यान देगी।

अनाज की तबक्सीम का जो सिस्टम है वह बड़ा चलत है। चाहे सीमेंट हो या और चीजें हों वह गरीबों को नहीं मिलती है, बड़े आदमियों को मिल जाती हैं। मिल मालिकों को अनाज दे दिया जाता है घाटा पीसने के लिये जिस को पीस कर वह घाटे में मिलावट करते हैं। सरकार को ऐसे लोगों को पकड़ कर बंद करना चाहिए। लेकिन ऐसा न हो कर यह लगता है कि मिन ब लो को पालना ही सरकार का धर्म हो गया है। ऐसी मिलों को जो मिलावट करती है बन्द कर देना चाहिए। वह मिल मालिक और कोई दूसरा धंधा कर लेंगे क्यों कि उन के पास पैसा है।

इसी तरह से चीनी मिल वालों को छूट है कि 35 परसेंट चीनी वह किसी भाव पर ओपिन मार्फिट में बेचें, ब्लैक मार्फिट में खांठ आप चाहे किसी भाव से बेचें किसान को खांठ नहीं मिलती, लेकिन ब्लैक मार्फिट में मिल जाती है। सीमेंट का भी वही हाल है, ब्लैक मार्फिट में चाहे जितना सीमेंट आप ले लें। लेकिन बीसे किानों को नहीं मिलता। वी छूट आप ने चीनी मिल मालिकों को दे रखी है कि 35 परसेंट ओपिन मार्फिट में बेचें, वह छूट

उन को न मिल कर किसानों को मिलनी चाहिए कि वह अपनी खांड बना कर फायदा उठावें।

इसी तरह खेत मजदूरों के लिए बेरोजगारी मुकदमों करनी चाहिए। इस देश में 4, 5 करोड़ मजदूर हैं उन के लिए सरकार ने कभी बेरोजगारी मुकदमों नहीं की। हर सूबे में ग्राम तौर में शिकायत मिलती है कि खेतों में काम करने वाले लोगों को बड़े जमींदार तंग करते हैं उन को उचित मजदूरी नहीं देते हैं। और जो देते भी हैं उस से उन का गुजारा नहीं चलता है। अगर वह बेचारे इतने कम पैसों पर काम करने में इकार करते हैं तो उन का सोशल वायफाट किया जाता है।

ट्रेक्टर के बारे में देखिए कि पहले जो लोग इंग्लैण्ड से पंजाब में ट्रेक्टर लाना चाहते थे गिफ्ट के तौर पर वह ला सकते थे। लेकिन अब उस को भी बन्द कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां के मोनोपलिस्टों को घाटा पड़ जायेगा। हालांकि उस से फौरन एक्सचेंज का फायदा सेट्रल गवर्नमेंट को होता है। 1971 में जब प्रधान मंत्री इंग्लैण्ड गई थीं, तो मैं भी उस समय गया था, वहां लोगों ने प्रधान मंत्री से कहा कि हम फौरन एक्सचेंज वही पै कनेगे, हम को ट्रेक्टर ले जाने की छूट होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उस को बन्द कर दिया है क्योंकि मोनोपलिस्टों को नुकसान होता है।

सिंचाई के पानी के साधन बढ़ाने के लिए पंजाब ने विन डैम के बारे में कोशिश की, कई बफा हम डा० के० एल० रव से डेपूटेशन ले जवर मिले और अब भी पंजाब सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन सेट्रल गवर्नमेंट ने झगड़ा खोल रखा है कि थ्रीफ मिनिस्टर ही फैसला करेंगे, पानी का बंटवारा करेंगे। पंजाब सरकार ने कहा कि पानी बाढ़ में तक्सीम कर देना, हम लिख कर देते हैं, लेकिन विन डैम का फैसला कर दो। बाढ़ बाढ़ सारा का सारा पानी पाकिस्तान को चला रहा है, लेकिन हमारी सरकार अभी तक

फैसला नहीं कर पायी है कि थ्रीन डैम बनाया जाय कि नहीं बनाया जाय। मैं चाहूंगा कि इस बारे में फौरन फैसला करना चाहिये जिस से वह पानी जो बेकार पाकिस्तान को जा रहा है, वह अपने देश की खेती के काम आ सके।

अन्त में मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर ध्यान दिया जाय और किसान की पैदावार की सही कीमत 125 रुपया प्रति बिबटल उस से मिलनी चाहिए।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) :
उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि मन्त्रालय एक बहुत बड़ा मन्त्रालय है जिस के अन्दर सब लोगों को खाने के लिए प्रबन्ध करने के लिए कुछ स्कीमें बगैरह बनती हैं। इस सदन में इस बारे में बहुत चर्चा हुई है। मैं खास तौर से थोड़ी सी बात मिनिस्टर साहब के सामने कहना चाहता हूँ उड़ीसा के बारे में।

उड़ीसा में दो-तिहाई एरिया सूखा पड़ा हुआ है सिवाय कोस्टल एरिया को छोड़ कर। कोरापुट, फुलबानी, भुवनेश्वर और सुन्दरगढ़, जितना ट्राइबल एरिया है, वहां सूखा पड़ा हुआ है। वहां पर कोई ऐसा काम नहीं होता है जिससे शरीर लोगों को काम मिले, उनको रोजी मिले जिससे वे अपना गुजर बसर कर सकें। आप जानते हैं कि उड़ीसा में स्थिति यह है कि वहां पर जमीन काफ़ी है और पानी की भी कोई कमी नहीं है। कमी है तो पैसों की कमी है। जितने पैसों की उड़ीसा को जरूरत है, उसना पैसा उसको नहीं दिया जाता है। हमारा कहना यह है कि वहां के लिए आपको पैसा देना चाहिए जिससे माइनर इरीगेशन हो, मेजर इरीगेशन हो और दूसरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पूरे हों। इस समय तो पैसा न होने के कारण वे नहीं हो पाते हैं और

[श्री धनद्वि चरण दाम]

केन्द्र सरकार हमारी तरफ देखती नहीं है। उड़ीसा में जितने काम केन्द्र की तरफ से हो रहे हैं वे धीरे पड़े हैं। आप का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए।

सिमिगुडा में एक जमीन फार्म सरकार ने मजूर किया है और उसके लिए एक करोड़ 5 लाख रुपये मजूर हुआ है। मैं वहां पर गया था। वहां पर मैंने देखा कि एक डाइरेक्टर को आपने वहां पर बैठा दिया है और वह 5 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा किये हुए बैठा है और उस जमीन में कुछ भी नहीं होता है। वहां पर अभी तक घर नहीं बन पाए हैं जिससे जमीन फार्म का काम शुरू हो पाता। वह जो जमीन है, उसमें पैदावार हो सकती थी लेकिन अभी वह बेकार पड़ी हुई है। यह प्रोजेक्ट फारेन कोलाइजेशन से होने वाली थी लेकिन यह काम क्यों नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि वहां पर सी० पी० डब्ल्यू० डी० और उड़ीसा सरकार के बीच में झगड़ा रहता है जिसकी वजह से घर नहीं बन पाते और जब घर नहीं बने तो जमीन का यह फार्म शुरू नहीं होगा।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि म्योरगज में एक ड्राई फार्म की स्कीम है। उसके लिए आपने जितना पैसा रखा था, वह खर्च नहीं हो पाता। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। सम्बलपुर जिले में लक्ष्मीपाली में मेन्टर की तरफ में एक मीड फार्म बनने वाला था और इसके लिए गवर्नमेंट ने 20 हजार एकड़ जमीन रखी थी लेकिन वह जमीन ऐसे ही पड़ी है और वहां पर सीड फार्म नहीं बन पाता। इस तरह से जो भी प्रोजेक्ट्स आप उड़ीसा के लिए देते हैं, वे धीरे पड़े हैं क्योंकि आप पैसा नहीं देते हैं और कुछ काम नहीं हो पाता है। अगर यह फार्म बन जाता तो वहां पर उत्पादन बढ़ने वाला था। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उनमें कुछ काम तो होना चाहिए लेकिन

काम नहीं हो पाता और इससे देश के अन्दर उत्पादन नहीं बढ़ पाता।

इस मिनिस्ट्री ने बीकर सेक्शन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हैं जैसे कि मार्जिनल फारमर्स एग्रीकल्चरल नेबर डेवलपमेंट एजेंसी, स्माल फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट स्कीम या व्होल बिनेज डेवलपमेंट स्कीम। ये सब आपने बीकर सेक्शन के लिए बनाई है लेकिन सचमुच में उनको इन प्रोजेक्ट्स और स्कीमों में कोई फायदा नहीं पहुंचता है। अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि कोरापुट में आपने एक टी० डी० एजेंसी मजूर की है। पांच साल के अन्दर इस पर दो करोड़ रुपये खर्च करने का आपने प्रबन्ध रखा है। एक साल पहले मैं कोरापुट गया था। वहां पर क्लक्टर ने मुझे बताया कि शराब की बिक्री में 65 लाख रुपये की मालाना आमदनी है। वहां पर 80 परसेंट आदिवासी रहते हैं और 12 ब्लॉक्स में से 30 टी० डी० ब्लॉक हैं, जिन की आबादी 22 लाख है। इस 22 लाख की पापुलेशन में आदिवासियों के कुल 20 लड़के ग्रेजुएट हैं। इनका आपने पैसा खर्च किया और इसका क्या फायदा आदिवासियों को मिला। मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद यह देखा है कि वहां पर बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े फार्म वाले जो भी सहूलियतें सरकार की तरफ से दी जाती हैं चाहे वे गाय के लिए हों चाहे बैक के लिए हों चाहे वे मुर्गियों के लिए हों और चाहे खाद के लिए वे आदिवासियों में दम्नखत करा लेते हैं और उन सहूलियतों को ले लेते हैं। इस चीज को कोई देखने वाला नहीं है। वहां जो हालत मैंने 20 साल पहले देखी थी, वही आज भी दिखाई देती है। जो भी पैसा सरकार उनके लिए खर्च करती है, उसका फायदा सचमुच में उनको नहीं मिलता है और उनकी इन्कम नहीं बढ़ पाती है। तो फिर यह पैसा कहाँ जाता है। यह जो शराब बेची जाती है, उसमें सारा पैसा चला जाता है। मैंने तो यह हिसाब बताया

है कि पांच साल के अन्दर सरकार लोगों को शराब बेच कर 3 करोड़ 65 लाख रुपया ले लेती है और फिर 2 करोड़ रुपया ही उन पर खर्च करती है। इस तरह से कैसे उनका फायदा पहुँचेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप आदिवासी इलाकों को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस शराब को बन्द करना चाहिए ताकि उनका एक्स-प्लायटेशन बन्द हो और उनकी अर्थ-व्यवस्था ठीक हो। एक तो वहाँ शराब बेची जाती है और दूसरी तरफ आप नये नये प्रोग्राम बनाते हैं और जो पैसा उनका मिलता है, वह शराब वाले ले जाते हैं। आप वहाँ पर शराब का बिकना बन्द कीजिए और उन लोगों को अपनी शराब बनाने की इजाजत दीजिए। इससे उन का पैसा बाहर नहीं जाएगा। एक जिले में 65 लाख रुपया सरकार को माल में मिल जाता है जिसमें उनको कोई फायदा नहीं होता है।

श्री सनपाल कपूर (पटियाला) जरा मिनिस्टर माहव ध्यान दें। ये चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को घर पर शराब निकालने की इजाजत दी जाए।

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF AGRICULTURE AND
IRRIGATION (SHRI ANNASAHB
P. SHINDE): Thank you very much.

श्री अनादि चरण दास : इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सरीब काश्तकारों, हरिजनों, आदिवासियों और कृषि मजदूरों के लिए कुछ ऐसी स्कीम बनाएँ, जिससे उनको फायदा हो और उनको ज्यादा पैसा मिल सके। इस वक्त आप जितना करते हैं उसका फायदा दूसरे लोग उठा ले जाते हैं। ये दूसरे रास्ते आप को बन्द करने होंगे।

कुछ ट्राइबल एरियाज, पिछड़े इलाकों और हिल एरियाज के लिए जो आपने नई स्कीम बनाई है जैसे कि पाइलट प्रोजेक्ट्स है

या मार्जिनल फार्मर्स एग्रीकल्चरल लेबर डेवलप-मेंट एजेंसीज या ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट स्कीम है, इनसे अगर आप सारे ट्राइबल एरिया को कवर कर लेंगे, तो मेरा ध्यान है कि वहाँ पर पाच, छ साल के अन्दर काफी उत्पादन बढ़ जाएगा और वहाँ की एकनामी भी अच्छी हो जाएगी। पूरे आदिवासी इलाके के लिए आप प्रोग्राम बनाइए। इसी तरह से हरिजन टलाको के लिए, जहाँ पर हरिजन ज्यादा कम्प्लेक्टेड हैं, जहाँ पर उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे ही प्रोग्राम बनाने चाहिए ताकि इन लोगों को भी कुछ फायदा मिले। जैसे आपने टी० डी० एस० वर्ग के कुछ प्रोग्राम बनाए हैं वैसे ही आप हरिजनों के लिए बनाइए ताकि उनको जमीन मिले, घर मिले, गाय बिल मिले और रोजी मिले। अगर ऐसा होगा तो उनका आर्थिक उत्थान होगा। और वे नांग भी तरक्की कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री पन्ना लाल बाबूपाल (गंगानगर) : मैं कृषि और मिर्चाई मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे खुशी है और मेरी मान्यता भी है और मेरी ही नहीं बल्कि राष्ट्र के नब्बे प्रतिशत लोगों की यह मान्यता है कि बाबू जगजीवन राम कर्त्तव्य निष्ठ व्यक्ति है, कुशल प्रशासक हैं और साथ ही साथ भाव्यशाली व्यक्ति है। मैं समझता हूँ कि जिनकी धनराशि इर्रिगेशन और कृषि के सम्बन्ध में इस मन्त्रालय द्वारा मांगी जाती है उतनी राशि वित्त मंत्रालय इनको नहीं देता है और न ही उसने दी है। इसलिए केवल भाषणों और आश्वासनों से काम होने वाला नहीं है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इस मन्त्रालय को अधिक से अधिक धन दिया जाए, इस मन्त्रालय की मांगों को पूरा किया जाए।

डाक्टरों ने मुझे परामर्श दिया है कि मैं बहुत कम बोलूँ। इस वास्ते मैं बहुत कम बोलूँगा।

[श्री पन्ना लाल बाहपाल]

मेरे से पहले हमारे साथी श्री दरबारा सिंह, श्री नाथू राम मिश्रा, डा० के० एल० राव आदि ने जो सुझाव दिए हैं वे बड़े ठोस सुझाव थे और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम भी आप उनके साथ जोड़ लीजिये क्योंकि मैं उन बातों को दोहराऊँगा नहीं।

सरकार की नीति के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा।

काम पर कुछ और है

काम से कुछ और

किसानों का गल्ला खरीदने का काम और है और बेचने का भाव और है। बाजरा हमारा 62 रुपये क्विंटल से लिया गया था और वही बाजरा हम को डेढ़ सौ रुपये क्विंटल के भाव पर दिया गया। डेढ़ सौ रुपये क्विंटल गेहूँ का भाव दिया और वही हम को ढाई सौ रुपये क्विंटल मिला बाजार में। इस वर्ष आपने 105 रुपये गेहूँ का भाव तय किया है। यह सही बात है। लेकिन गंगा नगर जिले में 150 और 160 रुपये हैं। हमारे साथ पंजाब की सीमा लगती है। मेरी कान्ट्रीट्रयुगसी पंजाब वालों के साथ मिलती है। अब पंजाब के अन्दर 115 रुपये का भाव है और हमारे जिले में 150 रुपये का भाव है। अब इसको दुर्भाग्य न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। जहाँ आप किसानों से अनाज लेते हैं वहाँ आप उनको डीजल भी दें, ट्रैक्टर भी दें, खेती के औजार भी दें, बीज भी दें। लेकिन ये चीजें तो उनको मिलती नहीं हैं और आप उनसे उनका उत्पादन लेना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन चीजों को उपलब्ध करने की भी आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

सर्वप्रथम राजस्थान नहर के काम को आप युद्ध स्तर पर पूरा करने की कोशिश करें राजस्थान के अन्दर लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है और उसमें लाखों टन अनाज की उपज हो सकती है। हम धमकीका आदि देशों से अनाज

अर्थात् हैं। यदि राजस्थान नहर की पूरा कर दिया जाए तो मेरी मान्यता है कि हम अनाज बाहर भेज सकते हैं। इसलिए आप राजस्थान नहर को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

सूरतगढ़ जिले में गांव हैं किसानपुरा, बडोवल, कानारे, ठिठासर, मानकशेड़ी, रगमहल और भोजेवाला जिनकी बीस हजार एकड़ जमीन जलमय है और सात बरों से उसमें पैदावार नहीं हो रही है। सोलह एकड़ के अन्दर अगर एक किसान पांच हजार रुपये पैदा करता है तो इसका अर्थ हुआ कि एक किसान को पैंतीस हजार रुपये का लाभ होता है। सरकार ने उनको जमीन के बदले जमीन नहीं दी है जोकि जल्दी ही दी जानी चाहिये। दूसरी बात यह है कि मत्स्य विभाग और इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलें हुए हैं और जो बड़ा पर मछलिया पैदा होती हैं उनको ठेकेदारों को बेच देते हैं। जमीन किसानों की डूबी हुई है, फसल उनकी नष्ट हुई है और अब अगर वहाँ मछलिया पकड़ी जाती हैं तो उनके हकदार ये किसान ही तो हैं। मछलियों की पैदावार किसानों को मिलनी चाहिये। इनके पैसे किसानों को मिलने चाहिये। मैं चाहता हूँ कि भोके पर जाकर आप वास्तविक स्थिति का अध्ययन करें या अपने अधिकारियों को भेज कर अध्ययन करवाए। जिस तरह में बम्बई के अन्दर एक तरफ बड़ी बड़ी जिल्डिग्स हैं मरीन ड्राइव है और दूसरी तरफ समुद्र है उसी तरह में राजस्थान के अन्दर बीस हजार एकड़ जमीन में आपको समुद्र का दृश्य नजर आएगा जिसमें पचास फीट से लेकर साठ फीट तक पानी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के किसानों को आप न्याय दिलाए।

हमारे राजस्थान में राजस्थान राइस फ्लोर एक्सप्लान है। वहाँ पर धान में से बावल निकाला जाता है। बावल पर आप लेबी लगाना चाहें तो लगा कर बावल आप ले सकते हैं लेकिन आप तो धान ले रहे हैं। अगर आप बावल के बदले धान लेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि सारी ये मिलें बन्द हो

जाएंगी, लैंकडों, हुजारी मजदूर बैकार हो जाएंगे, उनको मजदूरी नहीं मिलेगी। आपको चावल से मतलब है, धान से नहीं। फूड कारपोरेशन की जो इस सम्बन्ध में नीति है उसको आप बदलें। इसके सम्बन्ध में मैंने बाबूजी को एक पत्र भी लिखा है।

हमारे इलाके में सूखा पड़ा हुआ है। राजस्थान के 26 जिलों में से 23 में सूखा पड़ा हुआ है। वहां की स्थिति बहुत दयनीय है। लोग भूखो मर रहे हैं। अनाज बर्बाद मिलता नहीं है। माइलो मिलता है जिस को गधे भी नहीं खाते हैं। जिस मात्रा में पांच छ किलो यह दिया जाता है उसमें पूरा भी नहीं पड़ता है। न बाजरा, न ज्वार और न गेहू मिलता है। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

जब स्टेट्स का एकीकरण किया गया था तब सरदार पटेल ने आप्रवासन दिया था किसी भी स्टेट के महत्व को खत्म नहीं किया जाएगा। मैं गगानगर से आता हूँ बीकानेर की एक स्टेट साथ में लगती है। गगानगर में गेहू पैदा होता है। लेकिन बीकानेर वाले उसको ले जा नहीं सकते हैं। यह जो प्रबन्ध है इसको हटाया जाना चाहिये। मेहरबानी करके अनाज के आने जाने पर वहां प्रतिबन्ध हटाए।

बर्षा अमूमन जैसलमेर और बीकानेर में छ सात इंच से अधिक नहीं होती है। भूतपूर्व महाराजा बीकानेर ने, वहां के नरेश ने बंधे बनाए थे, नहरे बनवाई थी। नहरो के द्वारा पानी को टैंको के अन्दर डाला जाता है। कुछ उस पानी से खेती होती थी। आज उन बंधों की देखभाल नहीं होती है। शायद इसलिए नहीं की जाती है कि राजाओं द्वारा ये बनाए गए थे और शायद ईर्ष्यावश ऐसा होता है या इस कारण से होता है कि उसका भेज नहीं मिल सकता है। राजा महाराजा जो खत्म हो गए। सारा देश और सारी प्रजा अब हमारी है। सहवील भी कोलाबत है जो बीकानेर डिबीजन के अन्दर है कई बांध हैं

उनको नया बनाया जाए, उनकी मरम्मत की जाए, नहरो की मरम्मत की जाए।

खाद का कारखाना आपके हाथ में नहीं है। 24 साल में मैं इसकी मांग करता आ रहा हूँ। औद्योगिक दृष्टि से हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हिसाब लगा कर बना दिया जाना है कि तुम्हारे यहाँ भाखड़ा नहर है, गग नहर है, राजस्थान नहर है। ये तो प्रगति की देन है। वह तो राष्ट्रीय सम्पत्ति है। लेकिन आप देखें कि बीकानेर डिबीजन पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ होते हुए भी उसको पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया गया है। आप राज्य सरकार पर दबाव डालें कि वह उसको पिछड़ा हुआ घोषित करे।

जमीन देने के बारे में बहुत लम्बे चौड़े आकड़े निकाले जाते हैं। सोलिंग का जब कानून बनाया गया था तब कहा गया था कि जो जमीन निकलेगी उसको हम हरिजनों को देंगे। कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम आपको ऊँचा उठाएंगे। यह मुन बर बड़ी खुशी भी हुई थी। लेकिन हुआ क्या है? या तो हमें जमीन दी ही नहीं गई है, दी भी गई है तो वह दी गई है जो विवादग्रस्त है और जिनके हाथ में वह है वे लगे और बन्दूक लिय खड़े रहने हैं या फिर टिबो पर दी गई है। इस तथ्य में तो बहुत ऊँचा आपने हमको चढ़ा दिया है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया है। मैंने जो सुझाव दिए हैं मैं आशा करता हूँ कि उनको अमल में लाने का कृषि मन्त्रालय प्रयत्न करेगा।

अन्त में मैं एक पत्र भी मन्त्री महोदय को देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उसमें जो बातें हैं उनको वह जांच करवाए।

श्री सी० डी० गौतम (बालाघाट)
उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी मांगों का समर्थन करता हूँ और जो कुछ बातें मैं कहने जा रहा

[बी सी० बी० नीतम]

हैं, हालांकि उनका ज्यादातर सम्बन्ध राज्य सरकार से है परन्तु केन्द्रीय सरकार को यह सब बातें पूरी कराने के लिए उनको मजबूर करना चाहिये।

हम देख रहे हैं कि 2. 3 साल से भ्रकाल और सूखा पड़ रहा है, लेकिन इस साल 1974 में उससे धान की फसल बहुत ही क्षति-ग्रस्त हुई है। कहीं कहीं तो उगाया हुआ बाज निकला ही नहीं। लोगों की हालत बहुत ही खराब है। मेरा क्षेत्र बालाघाट है जो कि मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ का भी वही हाल है। दोनों क्षेत्रों में सूखा है और जहाँ जहाँ धान की फसल थी सब जगह सूखा है।

इस तरह का जो भ्रकाल पड़ रहा है, इससे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। किसानों को तो यह भुगतना पड़ ही रहा है लेकिन उनके साथ-साथ पूरी जनसंख्या को भी यह भुगतना पड़ रहा है। कम-से-कम हमने तो गवर्नमेंट को सबक लेना चाहिये। मिर्चाई की छोटी और बड़ी योजनाएँ जो उसने हाथ में ली हैं या लेने का निर्णय किया है वह पूरी करनी चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित एक सीबं कसा योजना है जो मध्य प्रदेश और महा राट्ट के बीच में बाउण्ड्री पर है। उस योजना का अभी कोई ठिकाना नहीं है। अगर यह योजना कामयाब हो जाये तो कम-से-कम 30-35 हजार एकड़ जमीन की सिर्चाई हो सकेगी और जो हर वक्न वहाँ भ्रकाल पड़ता है, वह नहीं पड़ेगा।

वैसे ही अगर वैन गंगा स्कीम है। यह कई बरसों से योजना मजूर की गई है पर वह भा चालू नहीं की गई है। अगर यह योजना कार्यान्वित हो जायेगी तो कम-से-कम दो लाख एकड़ जमीन की सिर्चाई होगी।

इसी तरह से बहुत सी योजनाएँ हैं जो कि कार्यान्वित नहीं हो रही हैं और, यह तो बड़ी योजनाएँ हैं जिनमें लाखों करोड़ों का मवाल आ जाता है। छोटी योजनाएँ जिनका स्टेट से सम्बन्ध है, परन्तु केन्द्र उनको करारों के लिये स्टेट को मजबूर कर सकता है, वह यह है कि जैसे ग्राम में पानी पहुँचता है बिल्कुल मड़कों में से या गलियों में से पानी आता है वह बड़ा भ्रच्छा रामायनिक पानी होता है। उससे फसल बड़ी भ्रच्छी होती है लेकिन वह बेकार जाता है। पुराने जमाने में मालगुजार लोग रहते थे, वे उसका उपयोग करते थे। उम्रे खेतों में ले जाते थे। अब ग्राम पंचायतें बन गई हैं, वहाँ पर कोई नहीं देखता है, कोई आदमी जिम्मेदार नहीं होता है और कोई परवाह नहीं करना है। इसलिए ऐसा पानी जो बड़ा कीमती माना जाता है, उस पानी की सही व्यवस्था करनी चाहिये।

जो जगहों से, पहाड़ों से पानी आता है बरसात में वह भी रामायनिक पानी होता है। उसका भी उपयोग करना चाहिये। जो छोटे छोटे नदी और नाले हैं, उन पर भी बाघ बनवाएँ तो मैं समझता हूँ कि अगर इतना ही काम करें तो हजारों लाखों क्विंटल अनाज पैदा हो सकता है। इन छोटी योजनाओं से ही यह हो सकता है, बड़ी योजनाएँ तो होती रहेंगी।

इसलिये मेरी मंत्रालय से प्रार्थना है कि इस ओर ख्याल करें। हालांकि यह स्टेट गवर्नमेंट से सम्बन्धित है लेकिन केन्द्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर करे कि वह इस कार्य को करे।

इस साल 1974 में फाँटलाइजर्स की कीमतें प्रायः दुगुनी हो गई हैं। मन्त्री जी इस बात का ख्याल करें कि इसकी कितनी बिक्की हुई। कीमतें दुगुनी हो जाने से बिक्की बहुत कम हुई है। जब बिक्की कम हुई है तो फसल कम हुई और इस तरह से भुखमरी बढ़ गई। दूह सब बातें हम आपके सामने रख रहे हैं।

फटिलाइजर के बारे में मैं एक बात और भी ध्यान करना चाहता हूँ कि फटिलाइजर बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब हम इसका उपयोग करते हैं, तो कुछ-कुछ हमने यह भी तजुर्बा पाया है कि जब धान की फसल में फटिलाइजर डालते हैं और उसमें उड़द, लखीरी, अलसी की फसल ब्राडकास्ट तरीके से बोते हैं तो फटिलाइजर ज्यादा डालने के कारण जमीन कड़ी हो जाती और जो ब्राडकास्ट फसलें हैं, वह ठीक पकती नहीं हैं, फसल कम होती है। तो इस और भी अनुसंधान करने वालों को ब्याल करना चाहिये।

फटिलाइजर की एक और भी खामी है। जिस समय फटिलाइजर डालते हैं तो फसल में जो दाना आता चाहिये वह बहुत मोटा हो जाता है। हमारे यहां बिजौर एक बढ़िया किस्म का धान होता है। दूसरे और भी बढ़िया किस्म के धान हैं। अगर फटिलाइजर को किन्नौर में या दूसरी फसलों में डालें तो उसकी मुगन्ध खत्म हो जाती है और जो पतला दाना होता। वह मोटा हो आता है। इसलिये हम उसका उपयोग ज्यादा नहीं करते हैं।

आज गोबर का खाद तो मिलता नहीं है। पानी बरसता नहीं है इसलिये चारा भी कम हो गया है। यह सब समस्याएं सामने आती हैं। इस पर भी मंत्री महोदय को कुछ ध्यान देना चाहिये।

हमारे यहां अनुसंधान का काम भी चालू हुआ है। पड़ती जमीन तो बहुत ज्यादा है। मेरा एक सुझाव यह है कि अगर सरकार जोत की तरफ ध्यान दे, हमारे यहां कई हजार एकड़ जमीन है, वह जोत में लगाने लायक है, अगर सरकार इसको जोत में लगावे तो जो लोगों के पास भूमि की कमी है वह सबाल भी हल हो जायेगा। पड़ती भूमि को जोत में लाना जरूरी है।

हमने ग्राम सेवक को एक ईकाई माना है। ग्राम सेवक से हम उम्मीद करते हैं कि वह किसान लोगों को सिखाये। हर प्रकार के बीज, फटिलाइजर, जमीन की किस्म के बारे में बताये और खेती के जो नये तरीके हैं, उनके बारे में बतावे।

इन्दौर और मालवा गेहूं क क्षेत्र हैं यहां गेहूं ज्यादा होता है। छत्तीसगढ़ में धान होना है। कहीं कहीं यह देखने में आया है कि जो इन्दौर या मालवा का रहने वाला ग्राम सेवक है उसको छत्तीसगढ़ में भेज दिया जाता है। उसको धान की उपज करने के बारे में, उसकी तैयारी करने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता है। ऐसा आदमी उस क्षेत्र के लिये बिल्कुल निरर्थक होता है। इस तरह से जो ग्राम सेवक भेजे जाते हैं इस पर भी ब्याल किया जाये कि जिस क्षेत्र का ग्राम सेवक रहने वाला हो उसको उसी के नजदीक भेजा जाये ताकि वह सब खेती की हालत खुद ही जानता है, और लोगों से हिल-मिलकर सब बातें कर करता है।

15 hrs.

श्री कमला मिश्र "अधुकर" (केसरिया) :
उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय की ओर से यह दाना किया जाता है कि हमने खेती में बहुत तरक्की की है। लेकिन मैं समस्या हूँ कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार को कृषि की पूर्ण नीति पर फिर से विचार करना चाहिए, और यह देखना चाहिए कि उस बे जो कुछ किया है, उस का परिणाम क्या हुआ है। सरकार की नीतियों और कार्यों का परिणाम यह हुआ है कि देश में कैपिटलिस्ट फार्मर पैदा हो गये हैं, जिनको खेती के काम में इन्ट्रेस्ट नहीं है। सरकार कहती है कि कृषि में उन्नति हुई है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, फिर भी खेती की पैदावार में गिरावट हुई है। आज कृषि की पैदावार में विकास की गति अथरुद्ध हो गई है।

(बी कमला मित्र "मधुकर")

हालांकि गेहूँ की फसल अच्छी हुई है, लेकिन पिछले सालों में गेहूँ की जो किराई फसल हुई थी, उतनी फसल नहीं होने जा रही है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने खेती के मामले में गैर-पूजीवादी नीति को नहीं अपनाया है। जब तक वे इस नीति को नहीं अपनायेंगी, तब तक कृषि में उन्नति होने की कोई गुंजायश नहीं है।

जहां तक भूमि-सुधारों का सवाल है, सरकार ने यह ऐलान किया कि 1974 का साल भूमि-सुधारों के साल के रूप में माना जायेगा। लेकिन ठीक उस के उलट हुआ है। भूमि-चोरों ने भूमि चुरा ली है। भूमि-सुधार सम्बन्धी कानूनों पर भ्रमल नहीं किया जा रहा है। बड़े बड़े जमींदार किसानों की हत्याएं करा रहे हैं। चम्पारन जिले में ऐसे 15 गरीब किसानों की हत्याएं की गई हैं, जो भूमि की लड़ाई लड़ते हैं, जो हृदयवन्दी कानून, बटाई कानून और घरवासगत कानून को लागू करने की मांग करते हैं। मैं अभी अपने इलाके में गया था। वहां एक किसान की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने अपने इलाके में बटाई के सवाल पर जमींदारों के खिलाफ आन्दोलन किया था। तमाम जमींदारों ने साजिश करके उस की हत्या कर दी, लेकिन प्रशासन इस बारे में कुछ भी नहीं कर सका है।

प्रश्न यह है कि क्या भूमि-सुधार कानून को भ्रमल में लाया जायेगा या नहीं, और क्या प्रशासन की वर्तमान मशीनरी के द्वारा यह काम होना या नहीं। केरल में भूमि-सुधार सहा. ढंग से लागू किये गये हैं। क्या सरकार दूसरे राज्यों में भी उसी पैटर्न पर भूमि सुधार लागू करने की व्यवस्था करने जा रही है? क्या यह केवल बकवास है, लोगों को ठगने का एक ढंग है कि हम भूमि-सुधार लागू करने जा रहे हैं और हम हृदयवन्दी करके फाजिल जमीन को हरिजनों में

बांटने जा रहे हैं, याद ? वे बकवास की बातें बन गई हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन कानूनों को लागू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों पर कड़ाई की जाये, और जो कानून पास हो चुके हैं, उन को लागू किया जाये, और यह साल भूमि-सुधार के साल के रूप में माना जाये।

सरकार ने कृषि की तरक्की के लिए किसानों का जितनी भी सुविधायें दी हैं, केवल धनी किसानों, कैपिटलिस्ट फार्मर्स, ने उनसे लाभ उठाया है। गांवों में जो छोटे और मझौले किसान हैं, खाद, बीज, ऋण और सिंचाई के सम्बन्ध में उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे खेती की तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको पर्याप्त सुविधायें नहीं दी जाती हैं। इस लिए प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था की जाये कि वे मध्य सुविधायें छोटे और मझौले किसानों को उपलब्ध हो सकें।

सरकार ने गेहूँ का दाम 105 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पूरे देश में यह मांग हो रही है कि उसकी कीमत बढ़ा कर 125 रुपये का जाये एक तरफ तो किसानों को इनमोटिव दिया जाये, और दूसरी तरफ खेत-मजदूर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स जैसे गरीब लोगों को सबसिडाइज्ड रेट पर राशन दिया जाये, जो खरीद कर अनाज खाते हैं।

पूरे देश में यह आन्दोलन चल रहा है कि शुगर इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया जाये। शुगर को व्हाइट गोल्ड अर्थात् श्वेत स्वर्ण कहा गया है, लेकिन सरकार उसका नेशनलाइजेशन नहीं कर रही है। इसका नतीजा यह है कि चीनी की पैदावार में तरक्की नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीयकरण के बिना चीनी के उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी।

मेरे इलाके में गंडक प्राजेक्ट लागू है। उसके द्वारा जितनी सिंचाई की क्षमता उपलब्ध

हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्यों कि वहाँ पानी के जमाव की समस्या है, और वहाँ फील्ड चैनल्स का निर्माण नहीं हो रहा है। गडक योजना का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, कोई तरक्की नहीं हो रही है, जबकि खर्च बढ़ रहा है। इस प्रकार गडक योजना सरकारी पैसे को गलत ढंग में खर्च करने का मध्यम बन गई है। किमानो को उस से कोई लाभ नहीं हो रहा है।

चम्पारन की जमीन बहुत ऊँच है। वहाँ एक एकड़ जमीन में बिना मिचार्ड की व्यवस्था के सौ मन धान होता है। लेकिन वहाँ हर साल छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आने के कारण किमानो की काफी वर्दी होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि चम्पारन की सभी नदियों के पानी का मही इस्तेमाल करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।

फ्लड कंट्रोल पर जितना खर्च होता है, बाढ़ के कारण किमानों की उससे कई गुना अधिक क्षति होती है। पूरे देश में बाढ़-नियंत्रण की योजनाएँ खटौई में पड़ी रहती हैं और कोई काम नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि चम्पारन में अथवाग समूह की नदियों में जो बाढ़ आती है, उसमें चम्पारन मुजफ्फरपुर, सारन, दरभंगा और सीतामढ़ी के इलाकों की रक्षा करने के लिए एक समग्र बाढ़-नियंत्रण योजना बनाई जाये, जिससे उन इलाकों की फर्टाइल जमीन का मही इस्तेमाल हो सके।

बिहार सरकार ने हाल ही में बिजली के रेट के बारे में एक नई नीति बनाई है, जिस का मतलब यह है कि जो किसान पंपिंग सेट और बोरिंग इस्तेमाल करते हैं उन को एक निश्चित रकम बिना बिजली इस्तेमाल किये हुए भी देनी पड़ती है। इससे किमानों में बड़ी खलबली मच गई है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय राज्य सरकार को इस नीति को बदलने के लिए लिखें, ताकि किसान जितनी बिजली इस्तेमाल करे, उससे उतना ही खर्च लिया जाये, उससे अधिक नहीं।

खेती पर देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्भर करता है। इस समय सरकार खेती के सम्बन्ध में पूँजीवादी राह पर चल रही है। सरकार को उस मार्ग का परिचयाग करके गैर-पूँजीवादी राह पर चर कर, ग्राह छोड़े किमानों तथा भूमिहीनों का सहायता देकर, खेती का तरक्की की व्यवस्था करनी चाहिए। वह अमरीका की राह पर चल कर उन तरक्की नहीं कर सकती है। गैर-पूँजीवादी रास्ते पर चल कर ही खेती को रक्षा की जा सकती है।

SHRI PAOKAI HAOKIP (Outer Manipur): So far as agricultural development is concerned, one of the most important problems that confront the country is the sector of the hill areas. The population inhabiting the hill areas is very backward. Though so many years have elapsed after independence, no substantial improvement has taken place in their plight.

The Government of India had agreed to certain projects being taken up in Manipur and Uttar Pradesh for the development of agriculture. One of them happens to be located in my constituency. Fortunately the Government of India has recently decided to continue them. I would request the Ministry to do everything possible and provide enough money, so that these projects are pursued with greater success in the Fifth Plan.

The hill areas of Manipur are in an advantageous position in the matter of taking up the development of agriculture. If only the Government takes interest in their development I do not think there will be much difficulty, because, so far as irrigation and other facilities are concerned, the State has great potentiality. I would, therefore, request the Ministry here to look after the interests of the people there.

Next, I would like to touch upon development of agriculture in the country as a whole. No doubt, agricultural development has been

(Shri Paokai Haokip)

tremendous over the years. We have given priority to the agricultural sector in our plans, and because of this we have been able to secure a tremendous success, but if we view it from a different angle, that is to say the income to the nation from the agricultural sector, we find that the performance is very poor. In 1960-61 the income was Rs. 6,500 crores and in 1972-73 it rose to Rs. 18,000 crores. What happened subsequently in that in 1972-73, this figure came down again. This had happened because the subject was dealt with by the State, that is to say, the measures suggested by the Centre to develop the national income from agriculture were not touched by them. What I mean to say is that considering the investment put into agriculture, irrigation and power, the return from these two projects is very poor. Because of this, there is an inflation and there is price rise. Therefore, I would say that it would have been better if the Central Government had included this subject in the Union List. But unfortunately, this happens to be in the State List. Therefore, whatever investment has to be made in this regard, when we consider the national income, as a whole, our agricultural development has not been able to contribute very much to it. Therefore, it should be high time for the Government to consider this aspect seriously and take some more measures in order to encourage the State to prepare themselves to realise more resources from the investment in this sector. Otherwise, we will not be able to make that much progress that we expect from the development of agriculture. So far as irrigation is concerned, very affluent agricultural farmers are benefitted from this, because they can invest more; their holding power is more. They are able to make use of the resources available. That is why. I would like to emphasise that the Government should seriously think of levying a special cess, so far as agriculture is concerned. Irrigation Projects, power generation and dis-

tribution must be made self sustaining and remunerative.

There are now six pilot projects in the country and they are confined to certain States like, Bihar, Andhra Pradesh, Orissa and Uttar Pradesh. For the last so many years, these projects are confined to these States, whereas the object of the projects is to improve the tribal areas, in particular, and hill areas in general.

It is high time now to spread these projects to other parts of the country also.

Therefore, I would request the Minister to consider this aspect also and take these projects to other parts of the country so that other States will also be benefitted from it.

श्री भगन राम मनहर (जंजगिर) :
उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिचाई और कृषि मंत्रालय की मांगो पर बोलने का जो अवसर आप ने दिया उस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूँ। कृषि मंत्रालय ने कुछ वर्षों में जो तरक्की की है उसके कुछ प्रांकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूँ। खाद की खपत 1950-51 में 1 लाख टन थी। वह बढ़ कर 73-74 में 32 लाख टन हो गई। ट्र्यूबवेल 1966 में 93,000 थे वह बढ़ कर 73-74 में 8 लाख 20 हजार हो गए। एलेक्ट्रिक पंपिंग सेट्स 5 लाख से बढ़ कर 24 लाख हो गए। ट्रैक्टर 60-61 में 31 हजार थे जो 73-74 में 2 लाख हो गए। हार्ड इन्डियन बैराडटी के अन्तर्गत एरिया 1971-72 में 17.94 मिलियन हैक्टर था वह 1973-74 में 25 मिलियन हैक्टर हो गया। 46 स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसीज काम कर रही हैं इस समय और 41 माजिनल और ऐग्रिकल्चरल सेक्टर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिससे 12 लाख कृषकों को फायदा हो रहा है। ये ऐसी योजनाएँ हैं जिन से ग्राम जनता के करीब कृषि विभाग पहुँच सका है। इसके लिए मैं कृषि विभाग के अधिकारियों और मंत्रालय को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा।

इस के साथ साथ मैं यह विवेदन करूंगा कि जो हमारे देश में सूखे की स्थिति है उस का मुख्य कारण जो मैं समझ पाया हू वह हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का अव्यावहारिक होना है। खास कर के सिंचाई के मामले में सिंचाई मंत्रालय ने और योजना मंत्रालय ने उस को प्राथमिकता न दे कर बहुत भारी भूल की है। हम चिन्ताते हैं कि बहुत सी बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएँ झगड़े में पड़ी हैं, उन के ऊपर अन्तर-प्रान्तीय झगड़े हैं जो हल नहीं हो पाए हैं जिस में उन को नहीं पूरा किया जा सका। लेकिन जो छोटी-छोटी विवाद योजनाएँ हैं जो बहुत ही सहूलियतों से पूरी हो सकती हैं उनको ऊपर सिंचाई मंत्रालय ने ध्यान देने का काट नहीं किया है। खास कर के अपने क्षेत्र की मैं दो चार योजनाओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। एक हस्तो बागों बाध है जिस में 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उसमें साठे सान लाख एकड़ की सिंचाई होगी। साठे सान लाख टन प्राकृतिक अनाज का उत्पादन होगा, साठे सान करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, 150 मेगावाट बिजली पैदा होगी और कोरबा औद्योगिक संस्थान को जल प्रदाय होगा। इस प्रोजेक्ट के ऊपर केन्द्रीय सरकार विशेष तबज्जह न देकर कुछ अच्छा नहीं कर रही है। इस योजना के बारे में अगर केन्द्रीय शासन से कहा जाय तो कहते हैं कि प्रदेश सरकार के पास लबिन है और प्रदेश शासन से कहते हैं तो कहा जाता है कि हमने केन्द्रीय शासन को भेजा है। इस तरह से यह योजना अक्षर में लटक रही है। इसी तरह से और भी छोटी छोटी योजनाएँ हैं। अगर हाफ योजना है उससे 1 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी, 15 करोड़ का उस पर खर्च है। धरपा योजना है उस से 2.2 लाख एकड़ की सिंचाई होगी, 25 करोड़ का खर्च है। बीलागर योजना से 1 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी, 5 करोड़ का खर्च है। बोराई योजना से 50 हजार एकड़ की सिंचाई होगी, 3 करोड़ का खर्च है। मान्य से 1 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी, 6 करोड़ का खर्च

होगा। केलो योजना से 1 लाख एकड़ की सिंचाई होगी 5 करोड़ का खर्च होगा। इस तरह से जो सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाएँ हैं इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन वह नहीं मिल पाई है। मैं कृषि मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि इन छोटी-छोटी योजनाओं पर वह विशेष ध्यान दे जिस से इस क्षेत्र के सूखे की स्थिति का स्थायी हल हो सके। हम कृषि पैदावार की बात तो बहुत करते हैं लेकिन जिन तरीके से विभाग का पुनर्गठन करना चाहिए और जो छोटी-छोटी बातें हैं जिन पर हमें तबज्जह देनी चाहिए वह नहीं दे पा रहे हैं। लैंड सीलिंग आप ने सम्पत्तरी कर दी। उस के साथ-साथ चकबन्दी को भी जब तक सम्पत्तरी नहीं करेंगे तब तक पैदावार नहीं बढ़ पाएगी। छोटे-छोटे किसान सब संभले हैं कि हम को किस तरह से खेती करनी चाहिए। इन्टेंसिव कल्टीवेशन करना चाहते हैं। लेकिन इस लिए नहीं कर सकते कि उन की जमीन छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है। कुआ खोदने के लिए भी एक चक जमीन नहीं है अभी आपने सिंचाई कुआ हेतु डेढ़ एकड़ में तीन एकड़ के चक का फैसला किया है, एक चक जमीन न होने से उस में भी न कुआ खुद सकता है और न सिंचाई हो सकती है। इस के लिये आप न, सम्पत्तरी रूप से चकबन्दी करनी पड़ेगी, तभी हम पैदावार बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे।

हमारा एग्रीकल्चर विभाग, एक टेक्नीकल डिपार्टमेंट कहलाता है, लेकिन बोलचाल में ही है। आफिशियली इस को अभी तक टेक्नीकल डिपार्टमेंट डिक्लेयर नहीं किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस विभाग को शीघ्र टेक्नीकल विभाग घोषित कराये।

आज कृषि विभाग में जितने अधिकारी होते हैं, हैड-क्वार्टर डिपार्टमेंट, वे प्रायः प्रायः ए० ए० अफसर होते हैं, टेक्नीकल

[श. भगत रम मनहर]

बातों का उन को ज्ञान नहीं होता है और इस वजह से वे बात बात में झड़वा लगाते हैं। कोई भा टर्न कल आदम कितनी ही झण्डी स्कीम प्रस्तुत करे, उस को अधिकारियों द्वारा नाट फिजबल कह दिया जाता है जिस का विपरीत असर पड़ता है। इस तरह हमारे कृषि मंत्रालय का विशेष ध्यान देना चाहिए।

आज आवागमन की सुविधाएँ भीतर के क्षेत्र में न होने से खाद बीज, दवाइयाँ जैसी चीजें समय पर नहीं पहुँच पाती हैं। जब तक आवागमन का सुधारने का काम हमारी योजनाओं में शामिल नहीं किया जायगा, तब तक इटीरियर के क्षेत्र उन्नति नहीं कर सकते। हमारे यहाँ माचिस, जो दिल्ली में 15 पैसे की मिलती है, वहाँ 25 पैसे की मिलती है। दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है और नहा जो पैदावार होना है वह ठीक समय पर मार्केट में नहीं पहुँच पाती है। इन सब चीजों की तरफ मन्त्रालय का ध्यान जाना चाहिये।

आप न लेवी वसूल की जो नीति बनाई है, वह बहुत झण्डी है। लेकिन उसका जो पालन हो रहा है वह बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है, अधिकारीयण उस का ठीक से पालन नहीं करते हैं। जो उन की मर्जी में आता है, जिस तरह से चाहते हैं कूज को इटरप्रेट करते हैं। जिसकी वजह से किसानों के अन्दर बहुत असन्तोष व्याप्त है। इस का एक मुख्य कारण यह भी है कि उन के धाब की जो कीमत मिलती है, वह अव्यवहारिक है। इस पर व्यावहारिक ढंग से आप को सोचना पड़ेगा, तभी पैदावार बढ़ाना सम्भव हो सकेगा। आज अधिकारियों के घरों में धुम खाते हैं, लेवी अधिग्रहण के नाम से वसूली करने लगते हैं। इसी वजह से किसानों का ध्यान धान और दूसरी फसलों की पैदावार की तरफ में हटता जा रहा है और यदि ऐसी ही स्थिति चलती रही तो, एक दिन किसान केवल अपने खाने भर के लिए धान

पैदा करेगा और इन फसलों के बचाव जो दूसरी फसल उसका झण्डी लगेगी उन को पैदा करेगा।

मध्य प्रदेश में 1956 में एक हजार हेक्टेयर में आलू की फसल होती थी, लेकिन अब 1974-75 में 20 हजार हेक्टेयर में आलू की फसल हुई है। वहाँ पर प्रतिवर्ष 2 लाख बिबटल बीज की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पर आलू के लिए कोई भी प्रजनन प्रक्षेत्र नहीं है। इस लिये मेरा सरकार में अनुरोध है—वहाँ पर तीन-चार फार्म ऐसे हैं जैसे—खोकमा बिलामपुर में, खमरिया, जबलपुर में, इनके आलावा और फार्म भी हैं, उनको आप आलू का प्रजनन प्रक्षेत्र घोषित कर सकते हैं। वहाँ बीज या आलू को रखने के लिये शीतगृह की व्यवस्था भी नहीं है। यदि सरकार शीत-गृह के लिये अनुदान देने की व्यवस्था करे तो इन वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है।

मध्य प्रदेश में चम्बल बीहड़ को समतल करने की एक योजना वहाँ की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास भेजी थी, लेकिन केन्द्रीय सरकार की धार से अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह बड़े दुख की बात है। यह इतनी बड़ी योजना है जिससे हजारों एकड़ जमीन समतल हो सकती है और साथ ही डाकू उन्मूलन का काम भी हो सकता है। ऐसी महत्वपूर्ण योजना को इतने दिनों तक दबाये रखना ठीक नहीं है, उस पर शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र बिकल (बागपत) :
उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और सिंचाई विभाग देश के बहुत से आवश्यक और उपयोगी विभागों में से एक है, जिस का जनजीवन से गहरा सम्बन्ध है। मैं इस की मांगों का समर्थन करता हूँ और इस सबमें कुछ व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूँ।

कृषि मूल्यों के सम्बन्ध में यहाँ पर सभी सदस्यों ने, इधर से भी और उधर से भी, कहा है कि बहुत कम निर्धारित हुए हैं, मैं

का मूल्य कम से कम 125 रुपये होना चाहिये । सरकार जो बोनस देना चाहती है, वह व्यावहारिक नहीं है । बोनस बनाने में और फिर किसानों को दिलाने में बहुत परेशानी होती है, किसानों को उस के मिलने की आशा भी नहीं है । बोनस की योजना जहाँ जहाँ जारी की गई उस में कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं । इस लिये बोनस के बजाय कृषि का मूल्य बढ़ा दिया जाय, जिस से किसानों का पैदावार करना में उत्साह बढेगा ।

किसानों को जो सहायता दी जाती है—चाहे वे ऋण के लिये हो या ट्यूब वेल के लिये हो या अन्य किसी मशीनरी के लिये हो, इस सहायता के अन्तर्गत अनेक राज्यों में बैंक कर्मों या दुकानदारों के नाम से काटे जाते हैं । इस योजना का सीधा सम्बन्ध विद्युत मंत्रालय से है, लेकिन यदि कृषि मंत्रालय प्रयत्न करे तो यह सहायता सीधे किसानों को दी जाय । किसानों को इस समय काफी कठिनाई होती है । निश्चित फर्म से सामान लेना पड़ता है जो मंहगा भी मिलता है और माघ ही उस में करप्शन भी होती है, चीनरी भी खराब मिलती है । बैंकों से साधा बैंक यदि किसानों को दिया जाय तो वे अपनी मर्जी से मार्केट में सामान ले सकते हैं और इस से उन को आसानी भी होगी ।

आजादी के बाद देश में जितना कार्य कृषि संस्थानों या विश्वविद्यालयों या कृषि फार्मों में हुआ है, उस का लाभ पूरे तौर से किसानों को नहीं मिला है । हमारे कृषि विभागों का सम्बन्ध सीधा गांवों से जोड़ा जाय और हर संस्था के साथ कुछ गांव लबा दिये जायें । ऐसा परीक्षण उत्तर प्रदेश में किया गया जो बहुत उपयोगी साबित हुआ । वहाँ के विभागीय अफसर और कर्मचारी गांवों में जा कर अपने अनुभव की बातें सीधे ग्रामीणों को बतलाते हैं प्रायः गांव वाले नई नई बातों को जानना चाहते हैं । हमारे वहाँ जितना शोध का काम हुआ है यदि यह गांव तक पहुँच जाय तो

इस से बहुत लाभ हो सकता है लेकिन इस के लिये हमारे विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को इन्टरेस्ट लेना होगा ।

हमारे शोध सम्बन्धी कार्य और कृषि सम्बन्धी योजनायें जो बनती हैं, वे अंग्रेजी में बनती हैं, राष्ट्रभाषा हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं बनाई जाती । यदि इन को हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बना कर किसानों में बाँटा जाय तो इन का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है । अभी तक हमारे किसान इन चीजों से महसूस रहते हैं और बांटने वाले उन को अपने तक ही सीमित रखते हैं ।

भूमि अधिग्रहण का काम किसान के लिये मीत है । चाहे किसी योजना के लिये भूमि ली गई या बढ़ते हुए शहरों के लिये भूमि ली गई—किमान से जब भी भूमि ली गई उस को बहुत कम मुआवजा दिया जाता है और बाद में उस को बहुत ज्यादा मुनाफे पर बेचा जाता है । दिल्ली और उस के पास तो बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमया गया—यह चीज किसानों के हक में नहीं जाती है । एक और तमाशा है—जो भूमि अधिग्रहण की गई, 15-20 सालों से बेकार पड़ी है, उस का कोई उपयोग नहीं हो रहा है । आज जब देश के अन्दर अन्न संकट है तो जिन से वह जमीन अधिग्रहण की गई है उन को ही खेती के लिये दे दी जाय, जब तक कि उस पर काम नहीं होता है, इस से जमीन का उपयोग भी हो सकेगा और पैदावार भी बढ़ सकती है ।

हमारे वहाँ बहुत सी कृषि उपज की बस्तुओं के मूल्य फसल आने पर गिर जाते हैं, लेकिन फसल के बाद प्रायः बढ़ जाते हैं, चाहे वे बस्तुयें गरीब मजदूर को खरीदनी पड़े या उपभोक्ताओं को खरीदनी पड़े, मंहगें सामानों पर खरीदनी पड़ती हैं । इस में समतुलन करने की आवश्यकता है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member may continue on Tuesday.

15.29 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
FIFTY-FOURTH REPORT

SHRI RAM DHAN (Lalganj): I beg to move:

"That this House do agree with the Fifty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th April, 1975."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Fifty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th April, 1975."

The motion was adopted.

15.30 hrs.

RESOLUTION RE: MEASURES TO REMOVE ECONOMIC AND SOCIAL INJUSTICES TO WOMEN—contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We resume discussion of the Resolution moved by Shri Indrajit Gupta. He may continue his speech.

SHRI INDRAJIT GUPTA (All-pore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, on the last occasion, I only had the time to read out the text of the Resolution, which I will not repeat now because it has been circulated to all Members.

15.31 hrs.

[SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI in the Chair]

Since the occasion for this discussion has arisen primarily due to the fact that the General Assembly of the United Nations has adopted a Resolution calling for the observance of this

year 1975 as the International Women's Year, I would like to begin with by pointing out the significance of this decision. I may say also that it is somewhat ironical that it has fallen to my lot as a representative of the much maligned tribe of bachelors to move this Resolution. I am afraid, the majority of my colleagues, who are married men, do not seem to be so eager or enthusiastic to come forward to take initiative in this matter. If this Resolution has to be implemented, it has to depend on the actions by married men and not by bachelors.

I wish to point out that the Resolution adopted at the 27th Session of the United Nations General Assembly on the 18th December, 1972, which called upon all members-States and people to observe 1975 as the International Women's Year contains the following very pertinent paragraph in its preamble. I am not going to quote more than that, because there is no time:

"Considering that it is necessary to strengthen universal recognition of the principles of equality of men and women, *de jure* and *de facto*, and that both legal and special measures have to be taken by Member-States which have not yet done so to ensure the implementation of women's rights..."

I wish to point out that the United Nations has laid particular stress on the fact that by equality of men and women, they mean not only *de jure* equality, but also *de facto* equality, not equality which is simply on paper, but equality in actual practice and in effect. Secondly, this paragraph has called upon Member-States to take specific legal and social measures to ensure implementation of women's right, and this is the point on which I wish to develop my arguments.

I was looking through the proceedings of the Committee which was set up by the United Nations much earlier in 1967 to discuss the Draft Declaration on the Elimination of Discrimination